उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 16

उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		180.85	256.00	436.85	139.85	253.66	393.51	188.66	255.20	443.86
पूंजी		*28.15*	*2.00*	*30.15*	*24.15*	*...*	*24.15*	*31.34*	*...*	*31.34*
जोड़		**209.00**	**258.00**	**467.00**	**164.00**	**253.66**	**417.66**	**220.00**	**255.20**	**475.20**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	13.44	13.44	...	15.17	15.17	...	16.21	16.21
उपभोक्ता मामले										
2. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	2.75	26.24	28.99	2.20	22.96	25.16	1.77	21.67	23.44
	5425	10.75	...	10.75	10.75	...	10.75	13.68	...	13.68
	Total	*13.50*	*26.24*	*39.74*	*12.95*	*22.96*	*35.91*	*15.45*	*21.67*	*37.12*
3. उपभोक्ता संरक्षण	3456	83.47	5.85	89.32	74.62	6.16	80.78	84.23	6.39	90.62
	3601	13.71	...	13.71	9.00	...	9.00	19.39	...	19.39
	3602	2.50	...	2.50	1.50	...	1.50	0.75	...	0.75
	Total	*99.68*	*5.85*	*105.53*	*85.12*	*6.16*	*91.28*	*104.37*	*6.39*	*110.76*
4. बाट और माप का विनियमन	3475	14.72	3.83	18.55	14.22	3.90	18.12	30.00	4.24	34.24
	3601	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	14.37	...	14.37
	3602	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
	5475	5.48	...	5.48	1.98	...	1.98	10.88	...	10.88
	Total	*34.20*	*3.83*	*38.03*	*30.20*	*3.90*	*34.10*	*56.25*	*4.24*	*60.49*
5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	5475	9.90	...	9.90	9.90	...	9.90	3.44	...	3.44
6. बाजारों का विनियमन	3475	16.20	6.49	22.69	8.10	5.37	13.47	15.75	6.59	22.34
7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
8. उपभोक्ता सहकारी समितियों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	3456	...	0.05	0.05	...	...	...	...	...	...
9. दलहनों के आयात पर सब्सिडी	2408	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
10. सुपर बाजार को ऋण	7475	...	2.00	2.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-उपभोक्ता मामले		**173.48**	**258.00**	**431.48**	**146.27**	**253.66**	**399.93**	**195.26**	**255.20**	**450.46**
11. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	10.40	10.40	...	9.72	9.72	...	10.30	10.30
	3601	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	3.00	3.00
	3602	...	0.50	0.50	...	0.48	0.48	...	0.50	0.50
	Total	*...*	*13.90*	*13.90*	*...*	*11.20*	*11.20*	*...*	*13.80*	*13.80*
11.1 घटाइए-उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-10.40	-10.40	...	-9.72	-9.72	...	-10.30	-10.30
	3601	...	-3.00	-3.00	...	-1.00	-1.00	...	-3.00	-3.00
	3602	...	-0.50	-0.50	...	-0.48	-0.48	...	-0.50	-0.50
	Total	*...*	*-13.90*	*-13.90*	*...*	*-11.20*	*-11.20*	*...*	*-13.80*	*-13.80*
	Net	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
उद्योग										
12. उपभोक्ता उद्योग	2852	14.62	...	14.62	1.33	...	1.33	2.74	...	2.74
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	18.88	...	18.88	14.88	...	14.88	18.66	...	18.66
	4552	2.02	...	2.02	1.52	...	1.52	3.34	...	3.34
	Total	*20.90*	*...*	*20.90*	*16.40*	*...*	*16.40*	*22.00*	*...*	*22.00*
कुल जोड़		***209.00***	***258.00***	***467.00***	***164.00***	***253.66***	***417.66***	***220.00***	***255.20***	***475.20***
ग. आयोजना परिव्यय										
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	14.62	...	14.62	1.33	...	1.33	2.74	...	2.74
2. उपभोक्ता संरक्षण	13456	173.48	...	173.48	146.27	...	146.27	195.26	...	195.26
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	20.90	...	20.90	16.40	...	16.40	22.00	...	22.00
जोड़		**209.00**	**...**	**209.00**	**164.00**	**...**	**164.00**	**220.00**	**...**	**220.00**

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है ।

2. यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए है ।

3. यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सचिवालय व्यय के लिए है । इसमें उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम के तहत 'विज्ञापन और प्रचार', राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता मंचों को मजबूत बनाने के कार्यक्रम की नेटवर्किंग के लिए प्रावधान भी शामिल हैं ।

4. यह प्रावधान बाट तथा माप एकक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं तथा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के सचिवालय व्यय के लिए है, जिसमें मुख्य निर्माण कार्य तथा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपकरण भी शामिल है। इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बाट तथा माप संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के कार्यक्रम हेतु प्रावधान भी शामिल हैं ।

5. यह प्रावधान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए कार्यालय भवन निर्माण हेतु किया गया है ।

6. यह प्रावधान वायदा बाजार आयोग के संबंध में स्थापना व्यय के लिए है। इसमें "वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण" कार्यक्रम भी शामिल है।

7. यह प्रावधान विधिक माप विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय संगठन को अंशदान के लिए है।

9. यह प्रावधान दालों के आयात पर घाटे की प्रतिपूर्ति/सब्सिडी के भुगतान के लिए है।

11. यह प्रावधान उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत आने वाली स्कीमों के लिए है।

12. यह प्रावधान भारत में सोने की हॉलमार्किंग/एसेज केन्द्रों की स्थापना हेतु किया गया है ।

13. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के वास्ते एकमुश्त प्रावधान है।